न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 60/2022

1 दशरथ पुत्र भैरूराम।

2 भूपसिंह पुत्र भैरूराम।

3 मुस्मात रज्जो देवी पत्नी भैरूराम।

4 हरिराम पुत्र प्रभात समस्त जाति गुर्जर निवासीगण दलपतपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 डागर इन्फ्रास्ट्रक्चर दलपतपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान साझेदार संजय यादव पुत्र करतार सिंह, विनय यादव, एकल यादव पुत्रगण रोहिताश जाति अहीर निवासी 38ए मियावाली कॉलोनी गुढ़ा व (हरियाणा) जरिये मुख्तयारआम ज्ञानीराम पुत्र सिंहराज जाति अहीर निवासी बीगोपुर तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)।

2 उप पंजियन अधिकारी पाटन।

3 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांकित 13.01.2022 सहायक कलेक्टर (फास्ट्रेक) मुकाम नीमकाथाना अन्तर्गत राजस्व विविध आवेदन संख्या 02/2022 डागर इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाम दशरथ आदि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 66/2022

1 दशरथ पुत्र भैरूराम।

2 भूपसिंह पुत्र भैरूराम।

3 मुस्मात रज्जो देवी पत्नी भैरूराम।

4 हरिराम पुत्र प्रभात समस्त जाति गुर्जर निवासीगण दलपतपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 डागर इन्फ्रास्ट्रक्चर दलपतपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान साझेदार संजय यादव पुत्र करतार सिंह, विनय यादव, एकल यादव पुत्रगण रोहिताश जाति अहीर निवासी 38ए मियावाली कॉलोनी गुढ़ा व (हरियाणा) जरिये मुख्तयारआम ज्ञानीराम पुत्र सिंहराज जाति अहीर निवासी बीगोपुर तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)।

2 उप पंजियन अधिकारी पाटन।

3 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांकित 23.05.2022 सहायक कलेक्टर (फास्ट्रेक) मुकाम नीमकाथाना अन्तर्गत राजस्व विविध आवेदन संख्या 02/2022 डागर इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाम दशरथ आदि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री इस्लामुदीन गौरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दिनेश सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 01/06/23

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 02/2022 में पारित निर्णय दिनांक 13.01.2022 एवं 23.05.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार एक समान होने से दोनों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट द्वारा ग्राम दलपतपुरा तहसील नीमकाथाना की भूमि खसरा नम्बर 248 बाबत विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 13.01.2022 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। इसके विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से अपील संख्या 60/2022 धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। मूलवाद में विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय दिनांक 23.05.2022 से विभाजन की प्राथमिक डिकी की है। इसके विरूद्व अपील संख्या 66/2022 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। विधि अनुसार रिकार्डेड खातेदार को पाबन्द नही किया जा सकता है। अत अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश अपास्त किया जावें। विचारण न्यायालय में मूलवाद में अपीलांट की सम्यक तामील नही हुई है। अपीलांट को सुने बिना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

एकपक्षीय कार्यवाही कर प्राथमिक डिक्री की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्व अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्व उपस्थित होकर कोई चाराजोही नही की है। ऐसी स्थिति में अपील के स्तर पर अपीलांट किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। विचारण न्यायालय में मूलवाद में अप्रार्थीगण की सम्यक तामील के उपरान्त एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय ने आदेश 9 नियम 13 का आवेदन प्रस्तुत कर एकपक्षीय कार्यवाही मनसुख करवाने की है। जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई सहायता प्रदान नही की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विभाजन प्रस्ताव विचारण न्यायालय के समक्ष आने पर अपीलांट आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु स्वंतत्र है। विभाजन की प्राथमिक डिक्री से अपीलांट के हक हकुक प्रभावित नही हो रहे है। अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्व अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्व उपस्थित होकर कोई चाराजोही नही की है। ऐसी स्थिति में अपील के स्तर पर अपीलांट किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। विचारण न्यायालय में मूलवाद में अप्रार्थीगण की सम्यक तामील के उपरान्त एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय ने आदेश 9 नियम 13 का आवेदन प्रस्तुत कर एकपक्षीय कार्यवाही मनसुख करवाने की है। जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई सहायता प्रदान नही की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है। विभाजन प्रस्ताव विचारण न्यायालय के समक्ष आने पर अपीलांट आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु स्वंतत्र है। विभाजन की प्राथमिक डिकी से अपीलांट के हक हकुक प्रभावित नही हो रहे है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिकी में हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01/06/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर